


| तारिख हुक्म | <b>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</b><br>स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 39/2024   | नम्बर व<br>तारिख<br>अहकाम जो<br>इस हुक्म की<br>तामिलमें जारी<br>हुए |
|-------------|--|---|
| 31.01.2025  | <p>प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। पेशेकार सरकार उपस्थित। चूंकि अपीलार्थीगण की अपील आज निर्णित होकर खारिज हो चुकी है। ऐसी स्थिति में, यह स्थगन प्रार्थना पत्र अब प्रभावहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थी सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"><br/>अति. जिला कलक्टर<br/>सिरोही (राज.)</p> |   |